

तमामा-यागालय अंचल अधिकारी, तमाड़ (सैदी)

(दोले अगिलेख हस्तक नियम 129)

विषय - सिमांकन के संबंध में।

अगिलेख संख्या - 2M/114-15

दिनांक	मदाधिकारी का हरताक्षर एवं आदेश	अगियुक्ति								
10-3-15	<p>आवेदक 21 ल मनी देवी</p> <p>पिता / पति पुगाम माली</p> <p>पोस्ट -</p> <p>जिला - सैदी</p> <p>कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच में दे।</p> <p>जमीन का विवरण</p> <table border="0"> <tr> <td>मौजा</td> <td>खाता सं०</td> <td>प्लॉट सं०</td> <td>रकबा</td> </tr> <tr> <td>मुमडो</td> <td>35 34</td> <td>116</td> <td>10500</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी तमाड़</p>	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	मुमडो	35 34	116	10500	
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा							
मुमडो	35 34	116	10500							
17-3-15	<p>अगिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी एक अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन अगिलेख में सलंगन है।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी तमाड़</p>									
2M-3-15	<p>अगिलेख उपस्थापित अग्नि फीस 400/- को अंचल नाजीर को जमा करें। सिमांकन हेतु दिनांक को अंचल अग्नि प्रतिनियुक्त करें एवं नोटीस निर्गत करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी तमाड़</p>									